के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.

संख्या– डब्ल्यू .पॉच – 34/2020–21–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो   दिनांक 18 मार्च, 2020

स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र
(WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM)

के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संस्था (सीडब्ल्यूए) ''सार्थक सहयोग सर्वदा'' के आदर्श वाक्य के साथ एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है जो शहीदों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है, जो दूर के स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों, जैसे–जम्मू–कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र, उत्तर पूर्व आदि में तैनात होकर देश की सेवा करने हेतु घर से दूर हैं। सीडब्ल्यूए का उद्देश्य के.रि.पु.बल कर्मियों के परिवारों का उत्थान और सहायता करना और उनकी समस्याओं को कम करना है।

2. दिनांक– 05/03/2020 को आयोजित बैठक के दौरान, सीडब्ल्यूए के शासी निकाय और सीईसी सदस्यों ने ''स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र'' (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) नामक एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जो ग्रुप केंद्रों/संस्थानों को अधिकारियों/जवानों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थय और तनाव/चिंता के स्तर को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए स्वास्थय शिक्षा कक्षाएं/पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। के.रि.पु.बल परिसर के भीतर अधिकारियों/जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण/शिक्षा देने के लिए ग्रुप केन्द्र/संस्थान विभिन्न नामी एजेंसियां जैसे – आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन जीने की कला आदि से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से हम के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीदों और मृत कर्मियों के छात्रों के समूह के लिए विभिन्न कोचिंग, कैरियर परामर्श, स्मार्ट कक्षाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। सीडब्ल्यूए वर्ष में केवल एक बार ''स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र'' (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा कक्षाओं/पाठ्यक्रमों का खर्च वहन करेगा।

3. इस योजना को चलाने के लिए पूरे भारत से जवानों के कल्याण के लिए प्राप्त दान में से रू0 1,99,99,990/– (रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ नब्बे) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा और इससे उत्पन्न ब्याज का उपयोग इस योजना को चलाने में किया जाएगा।

4. सीडब्ल्यूए की पुस्तिका के पैरा –3 (सी) और (ई) में उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य के.रि.पु.बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ''शैक्षणिक/व्यावसायिक कौशल के विकास, प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कार्यक्रमों को जारी रखना और के.रि.पु.बल परिवारों के कल्याण को प्रभावित करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना।'' अतः इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित जारी किया जाता है :–

i) **नाम** :–

ए) इस योजना को ''स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र'' (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) कहा जाएगा।

ii) **योजना का उद्देश्य** :–

ए) ग्रुप केंद्रों/संस्थानों को अधिकारियों/जवानों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य और तनाव/चिंता के स्तर को कम करने के लिए स्वास्थय शिक्षा कक्षाएं/पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। के.रि.पु.बल परिसर के भीतर अधिकारियों/जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण/शिक्षा देने के लिए ग्रुप केन्द्र/संस्थान विभिन्न प्रसिद्ध एजेंसियां जैसे – आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन जीने की कला आदि से संपर्क कर सकते हैं।

बी) इस योजना के माध्यम से हम के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीदों और मृत कर्मियों के छात्रों के समूह के लिए विभिन्न कोचिंग, कैरियर परामर्श, स्मार्ट कक्षाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे।

iii) **निधि निर्माण** :–

ए) सीडब्ल्यूए निधि में से रू0 1,99,99,990/–(एक करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ नब्बे रूपये) मात्र एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा और केवल इससे अर्जित ब्याज का ही उपयोग होगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रू0 1,99,99,990/– का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे प्राप्त ब्याज ही ''स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र'' (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) कक्षा/पाठ्यक्रम को आयोजित करने में होने वाले व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा। इस वर्ष का ब्याज रू0 12,06,365/– है।

iv) **अभिलेखों का रखरखाव** :–

ए) खाता सीडब्ल्यूए की मौजूदा रोकड़ बही के माध्यम से बनाए रखा जाएगा और इसके उचित लेखांकन के लिए सीडब्ल्यूए की ''स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र'' (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) योजना के नाम पर एक अलग पंजिका बनायी जाएगी।

v) **पात्रता** :–

ए) योजना, निधि की उपलब्धता के अनुसार और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करेगा।

बी) उक्त योजना के लिए धनराशि अप्रैल 2021 से जारी की जाएगी, क्योंकि सावधि जमा का ब्याज मार्च–2021 के दौरान उत्पन्न होगा। तदनुसार, इस योजना

के तहत् मामलों पर अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 से विचार किया जाएगा और इसी तरह आगे भी ।

सी) योजना के माध्यम से सीडब्ल्यूए वर्ष में केवल एक बार अधिकारियों/जवानों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए धन की उपलब्धता के अनुसार खर्च का वहन करेगा।

डी) इस योजना के माध्यम से सीडब्ल्यूए वर्ष में केवल एक बार ग्रुप केन्द्र/संस्थान के छात्रों/बच्चों के समूह के लिए कैरियर परामर्श, कोचिंग और स्मार्ट कक्षाओं के आयोजन के लिए धन की उपलब्धता के अनुसार खर्च वहन करेगा।

ई) कोई अन्य खर्च, यदि उचित समझा जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा की शासी निकाय के अनुमोदन पर किया जाएगा।

एफ) ग्रुप केन्द्र/संस्थान, जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, परिसर के प्रत्येक कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा, ताकि अधिक से अधिक बल कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिल सके।

जी) इस योजना के तहत् जलपान के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी।

vi) आवेदन कैसे करें :–

ए) इस योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए की औपचारिक सूचना और अनुमोदन आवश्यक है।

बी) आवश्यक विषयवार निधि विवरण के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाना आवश्यक है।

सी) ग्रुप केन्द्र/संस्थान कार्यक्रम के पूरा होने के बाद इस योजना के तहत धनराशि जारी करने के लिए मामले को संबंधित सेक्टर कार्यालय की सिफारिश के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों, अतिथि वक्ताओं के विवरण, प्रतिभागी के विवरण, कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण और सभी निधि विवरणों के साथ निदेशालय को अग्रेषित करेंगे।

vii) प्रबंध समिति की शक्तियॉ :–

ए) सीडब्ल्यूए का शासी निकाय इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर तय करेगा, ताकि उसी वित्तीय वर्ष में निधि का वितरण किया जा सके। नियम में संशोधन करने की शक्ति अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए की अनुमति के साथ सीडब्ल्यूए की शासी परिषद के पास रहेगा।

viii) निधि का वितरण :–

ए) ग्रुप केन्द्र/संस्थान द्वारा मांगे जाने पर निधि उनके खाते में वितरित की जाएगी।

5. तद्नुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इन आदेशों का पालन करें।

6. इसे अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता0 18/03/2020
(राजीव रंजन कुमार)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

संख्या– डब्ल्यू. पॉच – 34/2020–21–सीडब्ल्यूए (सेलो द्वारा) दिनांक – मार्च, 2020

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, गुवाहाटी एवं दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
2. महानिरीक्षक –पश्चिमोत्तर सेक्टर/दक्षिणी सेक्टर/मध्य प्रदेश सेक्टर/ पश्चिमी सेक्टर/पूर्वी सेक्टर/बिहार सेक्टर/उत्तरी सेक्टर/उत्तर पूर्व सेक्टर/कोबरा सेक्टर/मध्य सेक्टर/मणिपुर एवं नागालैंड सेक्टर/श्रीनगर सेक्टर/जम्मू सेक्टर/ त्रिपुरा सेक्टर/द्रु.का.बल सेक्टर/राजस्थान सेक्टर/पश्चिम बंगाल सेक्टर/ओड़िसा सेक्टर/झारखंड सेक्टर/छत्तीसगढ़ सेक्टर/ऑप्स कश्मीर सेक्टर/ऑप्स जोरहाट सेक्टर, के.रि.पु.बल।
3. महानिरीक्षक/प्राचार्य, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू/ केरिपुबल अकादमी, कादरपुर, के.रि.पु.बल।
4. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
5. सभी ऑप्स/सिगनल/प्रशिक्षण संस्थान/पीडीजी सहित सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
6. सभी ग्रुप केन्द्रों/के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
7. सिग्नल/द्रु.का.बल/कोबरा/एसडीजी/पीडीजी बटा0 के कमांडेंट सहित सभी बटालियनों के कमांडेंट, केरिपुबल।

हस्ता0 18/03/2020
(राजीव रंजन कुमार)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशक के स्टॉफ अधिकारी एवं वरिष्ठ निजी सचिव।
विशेष महानिदेशक (प्रशिक्षण/ निर्माण) के वरिष्ठ निजी सचिव।
अपर महानिदेशक (मुख्यालय/कार्मिक/ऑप्स/चिकित्सा) के उप कमा0/सहा0 कमा0 निजी सचिव।
महानिरीक्षक–(प्रशा0/कार्मिक/संचार/निर्माण/ऑप्स/ आसूचना/ संभरण/प्रशिक्षण/स्थापना / निदेशक(चिकित्सा)/ वित्तीय सलाहकार) के व्यक्तिक सचिव।
उप महानिरीक्षक (प्रशा0/कल्याण/निर्माण/विधि/ऑप्स–1/2/कार्मिक/गोप0 एवं सतर्कता/स्थापना/संगठन/भर्ती/प्रशिक्षण–1/2 /तकनीकी/आई.टी. /उपकरण/संचार/संभरण/मोटर परिवहन एवं आयुध/आसूचना/ सीएसओ/सीपीसी उप वित्तीय सलाहकार)
कमांडेंट (कल्याण/स्पेशल सेल/विधि/स्थापना/ऑप्स–1 एवं 2/ /आसूचना/संभरण/पीओएल/वीआईपी सुरक्षा/आर्किटेक्ट) सहा0 निदेशक (लेखा)
महानिदेशालय के सभी शाखाओं को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।